संख्या–1101 / उन्नीस–2–2017–199 / 2017

प्रेषक,

कल्यान बनर्जी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0,
लखनऊ।

सूचना अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांकः 19 सितम्बर, 2017

विषय–"उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017" के कार्यान्वयन हेतु सूचना/पर्यटन विभाग के स्तर पर अपेक्षित शासनादेश/अधिसूचना निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग के पत्र संख्या–1308/छप्पन–2017–52/2017, दिनांक 31.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ "उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017" 24 अगस्त, 2017 को संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त नीति के पैरा–8.4.2 में निम्नलिखित प्राविधान हैं:–

"राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं पर्यटन विभाग के माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) वायुमार्गो के लिए प्रचार करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।"

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017" 24 अगस्त, 2017 के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्वक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(कल्यान बनर्जी)
अनु सचिव

संख्या–1101(1)/उन्नीस–2–2017–199/2017तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,

(कल्यान बनर्जी)
अनु सचिव